## न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 881 / 15

संस्थित दिनाँक-16.11.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

मनोज पुत्र बाबूसिंह जादौन उम्र 39 साल निवासी लाईन नं0 9 क्यू0 नं0 119, बिरलानगर ग्वालियर म0प्र0

.....अभियुक्त

## \_\_: निर्णय ::— (आज दिनांक 25.02.17 को घोषित)

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 09.08.15 को दोपहर 4 बजे पटेल मार्केट के सामने गोहद चौराहा सार्वजनिक स्थान पर वाहन एम0पी0—07 जी0ए0—2597 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

- 2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि आहत रामेश्वर द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि० की धारा 337 एवं 338 का उपशमन किया गया।
- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी बलराम अपने पिता रामेश्वर के साथ दिनांक 09.08.15 को घरेलू सामान लेने गोहदचौराहा पर आया था। दोपहर करीब 4 बजे पटेल मार्केट के सामने पैदल जा रहे थे तभी मालनपुर तरफ से एक केंटर नंबर एम0पी0-07 जी0ए0-2597 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाता आया और उसने रामेश्वर को टक्कर मार दी जिससे रामेश्वर को सिर तथा आंख के पास चोट आई व शरीर में मुदी चोटें आई। फरियादी अपने पिता को गोहद अस्पताल ले गया वहां देहाती नालिसी लेख की गयी। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, अप0क0-190/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना स्थल का नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।
- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरूद्ध कोई तथ्य न होने से दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

प्रकरण के निराकरण हेत् निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.08.15 को दोपहर 4 बजे पटेल मार्केट के सामने गोहद चौराहा सार्वजनिक स्थान पर वाहन एम0पी0—07 जी0ए0—2597 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

## <u>—ः सकारण निष्कर्ष ः:-</u>

- 6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में डा० आलोक शर्मा अ०सा० 1, बलराम अ०सा० 2 व रामेश्वर असा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।
- 7. फरियादी बलराम अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में घटना करीब डेढ साल पहले बरसात के समय की होना बतात हैं। वे यह कथन करते हैं कि वे और उनके पिता गोहद चौराहा पर सामान लेने आए और वे लोग पटेल मार्कट के पास जा रहे थे तभी पीछे से एक आयशर केंटर आई और उसके पिता को टक्कर मार दी। उसके पिता जमीन पर गिर गए, उन्हें सिर में चोट आई। वाहन चालक तुरंत भाग गया था। भीड इकट्ठी हो गयी तो वह अपने पिता को एम्बुलैंस से अस्पताल ले गया। साक्षी इसी बात की रिपोर्ट देहाती नालिसी प्र0पी0 2 के रूप में करना बताता है जिस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करता है। अपने अभिसाक्ष्य में यह साक्षी नक्शामीका प्र0पी0 3 पर ए से ए भाग तथा जब्दी पत्रक प्र0पी0 4 पर ए से ए भागों पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। अपने अभिसाक्ष्य में यह सी कथन करते हैं कि उन्होंने वाहन चालक को देख लिया था वह 20–21 साल का लडका था और यह कथन करते हैं कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त कैंटर नहीं चला रहा था। इस प्रकार से साक्षी प्रथम तो अभियुक्त के द्वारा अभिकथित घटना में लिप्त वाहन के चलाए जाने के संबंध में इंकार करता है साथ ही उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाए जाने से दुर्घटना कारित किए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं करता है।
- 8. रामेश्वर अ0सा0 3 जो आहत है, यह कथन करते हैं कि वे अपने लड़के को लेकर गोहद चौराहे पर आए थे और पटेल मार्केट के पास जा रहे थे। इतने में उनके पीछे एक सांड आया, बचने के लिए वे भागे तो आयशर केंटर उनसे टकरा गया। यह भी कथन कर रहे थे कि कैंटर आराम से चल रहा था, उनके भागने से कैंटर टकरा गया था। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में न तो अभियुक्त को पहचनाना बताते हैं और न हीं अभिकथित वाहन कैंटर के उपेक्षा व उतावलेपन से उसके द्वारा चालक द्वारा चलाए जाने का कथन करते हैं। साक्षी इसके विपरीत कथित कैंटर का आराम से चलना और स्वयं की कथित सांड से बचाव करने में दुर्घटना कारित होने का कथन करते हैं। ऐसे में उक्त दोनों साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन न किए जाने से अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए। ऐसे में सर्वोत्तम साक्षियों द्वार घटना का समर्थन न किए जाने से अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

- 9. प्रकरण में फरियादी बलरम अ०सा० 2 सूचक प्रश्नों में अभियुक्त द्वारा कथित टेंकर को तजी व लापरवाही से चलाए जाने का सुझाव दिए जाने से साक्षी द्वारा उक्त सुझाव से इंकार किया है और यह भी कथन किया है कि भीड़भाड़ वाली जगहें, वहां गाड़ी तेज नहीं चल सकती। साक्षी द्वारा देहाती नालिसी प्र0पी० 2 पर बी से बी भाग पर तथा कथन प्र0प० 5 पर ए से ए भाग पर इस तथ्य को लिखाए जाने से इंकार किया है कि कैंटर के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से उसे चलाया। साक्षी रामेश्वर अ०सा० 3 सूचक प्रश्नों में वाहन चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार देने के सुझाव से इंकार करता है। साक्षी सूचक प्रश्नों में अभियुक्त के घटना के समय कथित कैंटर चलाए जाने के तथ्य से इंकार किया है। प्रकरण में घटना के सर्वोत्तम साक्षी आहत व चक्षुदर्शी साक्षी होते हैं जिनके द्वारा अभिसाक्ष्य में अभियुक्त की संलिप्तता एवं उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन के चलाए जाने के तथ्य से इंकार किया गया है। ऐसी दशा में अभियोजन की साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध दाण्डिक अभियोग के प्रमाणीकरण हेतु पर्याप्त नहीं हैं।
- 10. डा0 आलोक शर्मा अ०सा० 1 अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक 09.08.15 को आहत रामेश्वर को लाए जाने पर सीएचसी गोहद में चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसे चार चोटें कारित होने के संबंध में कथन करते हैं। यह साक्षी घटना के साक्षी नहीं हैं बिल्क उनकी साक्ष्य संपोषक साक्ष्य की श्रेणी में आती है। आहत द्वारा चोट के संबंध में राजीनामा कर लिए जाने से इस साक्षी की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त से आहत का राजीनमा हो गया है इस कारण से साक्षीगण द्वारा अभियुक्त के संबंध में कथन नहीं किया जा रहा है। साथ ही यह भी तर्क किया है कि प्राथमिकी एवं पुलिस कथनों में तेजी व लापरवाही से टक्कर मारने का तथ्य लेख है ऐसे में अभियुक्त का कृत्य प्रमाणित है।
- 11. संहिता की धारा 279 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु लोकमार्ग पर उपेक्षा अथवा उतावलेपन से वाहन चलाए जाने के संबंध में तर्कपूर्ण साक्ष्य होना आवश्यक है। सर्वोत्तम साक्षी फरियादी बलराम अ0सा0 2 तथा आहत रामेश्वर अ0सा0 3 द्वारा कथित केंटर के चालक द्वारा टक्कर मारने का कथन किया है किन्तु उक्त केंटर उपेक्षा अथवा उतावलेवन से चलाया जा रहा था, इस संबंध में साक्ष्य नदेते हुए उसके विपरीत कथन किया गया है। ऐसे में स्वयं आहत रामेश्वर अ0सा 3 द्वारा उसके केंटर से टकराए जाने का कथन केंटर के चालक द्वारा उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाए जाने के अभियोग के विपरीत है। जहां तक देहाती नालिसी प्र0पी0 2 व कथन प्रपी0 5 व 6 का प्रश्न हैं तो वे स्वयं सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं।
- 12. यह स्थापित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। <u>न्यायदृष्टांन्त— रिव कुमार विठ स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929</u> की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी

में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। प्रकरण में फरियादी बलराम अ0सा02 द्वारा देहाती नालिसी प्र0पी0 2 के विनिर्दिष्ट भाग तथा धारा 161 दप्रस के कथनों कमशः प्र0पी0 5 व 6 से साक्षियो द्वारा तात्विक विरोधाभास व लोप का कथन किया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

- 13. संहिता की धारा 279 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन को चलाया जावे। संपूर्ण अभियोजन साक्षियों जो सर्वोत्तम साक्षी थे, उनके द्वारा अभियुक्त के वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित कर दिए गए हैं। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। संदेह का लेशमात्र भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को खण्डित कर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिलाए जाने का आधार होता है। अतः अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्तकर दोषमुक्ति का पात्र है। अतः अभियुक्त को धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। धारा 337, 338 भादवि० के आरोप से अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 14. अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।
- 15. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / —
ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
म श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
ध्यप्रदेश